विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-13/17

श्री मनोज पिसाल, — आवेदक
पिसाल टेलर्स, 29 मालवीय नगर,
रोशनपुरा, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

उपमहाप्रबधंक — अनावेदक
शहर संभाग (दक्षिण)
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 30.06.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक बी.टी. 40/2017 श्री मनोज पिसाल विरूद्ध उपमहाप्रबंधक, (शहर) संभाग, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल में पारित आदेश दिनांक 07.04.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–13/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 24.6.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें दिनांक 13.6.2017 को अनावेदक से चाही गई जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जिसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई गई।

04 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान अवगत कराया गया कि उनके परिसर में लगा मीटर मार्च, 2015 से डिफेक्टिव हो गया था जिसे कि दिसंबर 2015 में बदला गया। अनावेदक द्वारा नये मीटर द्वारा मई से जुलाई 2016 में दर्ज खपत के औसत के हिसाब से बिलिंग की गई जो कि उचित नहीं है। (ओई–1)

05 आवेदक एवं अनावेदक के बीच विवाद मार्च 2015 से नवंबर 2015 तक की अवधि का है। जबकि माननीय फोरम द्वारा अक्टूबर 2014 से नवंबर 2015 तक की अवधि की बिलिंग पुनरीक्षित करने का आदेश पारित किया जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि उनके द्वारा मार्च 2015 से नवंबर 2015 के बीच की गई औसत बिलिंग के विरूद्ध शिकायत की गई थी। अतः फोरम के आदेश को अपास्त किया जाए।

06 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक का मीटर डिफेक्टिव होने पर निम्नदाब मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था जिसमें मीटर बंद पाया गया। सतर्कता विभाग द्वारा नये

मीटर बदलने के पश्चात मई, जून, जुलाई 2016 में दर्ज की गई खपत के औसत के आधार पर 9 महिने के लिए रूपये 68520/– का बिल दिया। (ओई–2)

07 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके अनुरोध करने पर उक्त प्रकरण की समीक्षा वृत्त स्तर पर गठित समीक्षा समिति के द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मीटर सितंबर 2014 से त्रुटिपूर्ण होकर कम रीडिंग दर्ज कर रहा है। अतः सितंबर 2014 के पूर्व 3 माह की विद्युत खपत के आधार पर किया जाए जिसे कि फोरम द्वारा अपने निर्णय में सितंबर 2014 की जगह अक्टूबर 2014 से मीटर डिफेक्टिव मानते हुए जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2014 में दर्ज हुई खपत के औसत के आधार पर बिल पुनरीक्षित करने के आदेश दिये। जिसके अनुसार रूपये 63202/– का बिल पुनरीक्षित कर आवेदक को दिया गया। (ओई–3)

08 अनावेदक ने तर्क के दौरान बताया कि उनके द्वारा वृत्त स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं तदोपरांत उपभोक्ता फोरम द्वारा दिये गये आदेश के तहत पुनरीक्षित एवं संशोधित बिल आवेदक को दिया। क्योंकि मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर परीक्षण कराने पर मीटर डिफेक्टिव पाया गया। आवेदक के परिसर में मार्च 2015 से ही विद्युत खपत पायः शून्य दर्ज होना पाई गई थी। अतः सतर्कता दल द्वारा मीटर बदलने के पश्चात दर्ज हुई खपत माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2014 के आधार पर औसत बिल प्रस्तावित किया।

अतः उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, लिखित वहस एवं तर्कों को सुनने तथा अपील के अवलोकन करने के पश्चात् निम्न तथ्य सामने आये–

अ आवेदक का एक गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन है जिसमें स्थापित मीटर मार्च 2015 से तकनीकी त्रुटि के कारण बंद हो गया जो कि 25 नवंबर 2015 तक बंद रहा। इस अवधि में आवेदक को अनावेदक द्वारा 240 औसत यूनिट प्रतिमाह के अनुसार बिलिंग की जाती रही, जिसका कि आवेदक निरंतर भुगतान करता रहा।

ब दिनांक 26.11.2015 को सतर्कता दल द्वारा उपरोक्त कनेक्शन का निरीक्षण किया गया जिसमें कि मीटर बंद पाया गया। उक्त मीटर का परीक्षण आवेदक के समक्ष निम्नदाब प्रयोगशाला में कराया गया जिसमें मीटर बंद होने की पुष्टि हुई।(ओई–4)

स आवेदक के परिसर में नये मीटर की स्थापना करने के पश्चात मई, जून एवं जुलाई 2016 में मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत के औसत के आधार पर मार्च 2015 से नवंबर 2015 तक की अवधि हेतु औसत के आधार पर बिल पुनरीक्षित किया गया।

द उपरोक्त पुनरीक्षित बिल के विरोध में आवेदक द्वारा महाप्रबंधक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि, के कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया जिस पर वृत्त स्तर की समिति ने आवेदक के आवेदन पर विचार करने के उपरांत यह पाया कि वास्तव में मीटर सितंबर 2014 से ही कम खपत दर्ज कर रहा था। अतः जून, जुलाई एवं अगस्त 2014 की मासिक खपत के औसत के आधार पर 771 युनिट प्रतिमाह मीटर बंद होने की अवधि में पुनरीक्षित बिल रूपये 63202/– का आवेदक को दिया, जिसका कि भुगतान आवेदक द्वारा दिनांक 20.3.2017 को कर दिया।

09 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत खपत विवरण से यह स्पष्ट है कि मार्च 2015 से नवंबर 2015 के बीच में मीटर द्वारा प्रायः शून्य खपत दर्ज की गई तथा माह अक्टूबर, 2014 से लेकर फरवरी 2015 में

मई 2014 से सितंबर 2014 की अवधि में दर्ज खपत की तुलना में कम खपत दर्ज हुई। (ओई–1)

10 अनावेदक द्वारा मीटर बंद पाये जाने पर नया मीटर लगाये जाने के पश्चात जिन माहों में अधिकतक युनिट दर्ज हुई है, उसके औसत के आधार पर मीटर के डिफेक्टिव होने की अवधि में पुनरीक्षित बिल भेजा गया, जिसे वृत्त स्तर पर समीक्षा समिति द्वारा यह मानकर कि मीटर सितंबर 2014 से ही कम खपत दर्ज कर रहा है, मीटर बंद होने की अवधि सितंबर 2014 से नवंबर 2015 की मानते हुए जून, जुलाई एवं अगस्त 2014 में दर्ज खपत के औसत के आधार पर संशोधित बिल भेजने हेतु निर्देशित किया।

11 अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर निर्णय लेने से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 का अवलोकन किया गया जिसमें कि मीटर के त्रुटिपूर्ण होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, का उल्लेख कंडिका 8.35 (बी) किया गया है, जो निम्नानुसार है –

8.35 (बी) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगें जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

उपरोक्त कंडिका से यह स्पष्ट है कि मीटर के डिफेक्टिव होने की तिथि के पूर्व के तीन माह में दर्ज की गई खपत का औसत लेकर त्रुटिपूर्ण अवधि की बिलिंग की जानी है अथवा नये मीटर स्थापित होने के पश्चात उसके द्वारा अगले तीन माह में दर्ज की गई खपत के औसत के अनुसार बिलिंग की जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड)(द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम 2012 का भी अवलोकन किया गया जिसके कि परिशिष्ट–अ के बिन्दु क्रमांक–5 में मापयंत्र तथा मीटर संबंधी शिकायतों के निराकरण की समयावधि दर्शायी गई है जिसके अनुसार धीमें, रेंगते हुए या रूके हुए मापयंत्र की प्रतिस्थापना शहरी क्षेत्र में 15 दिन में की जानी है।

12 उपरोक्त दोनों प्रावधानों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि यदि मीटर त्रुटिपूर्ण होता है तो जिस माह में मीटर त्रुटिग्रस्त हुआ है उसके पूर्व के तीन माहों में दर्ज खपत के औसत के

आधार पर त्रुटिपूर्ण अवधि की बिलिंग पुनरीक्षित की जानी है और यदि जिस माह में मीटर त्रुटिग्रस्त हुआ उसके तीन माह के खपत का औसत का आकलन किया जाना किसी परिस्थिति में संभव नहीं है, तब त्रुटिग्रस्त मीटर को बदलने के पश्चात उसके द्वारा अगले तीन माहों में दर्ज खपत के औसत के आधार पर बिलिंग की जा सकती है एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह आवश्यक है कि मीटर डिफेक्टिव होने पर शहरी क्षेत्र में 15 दिवस के अंदर मीटर बदला जाए। इस प्रकरण में आवेदक का मार्च 2015 में मीटर त्रुटिग्रस्त होने के बाद भी नवंबर 2015 तक मीटर नहीं बदला गया जो कि निश्चित रूप से अनावेदक द्वारा अपने कार्य में लापरवाही एवं dificiency of service (सेवा में कमी) इंगित करती है।

13 अनावेदक द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं कर आवेदक से अधिक राजस्व प्राप्त करने की दृष्टि से मीटर बदलने के पश्चात अगले माह में जिनमें कि अधिकतम विद्युत खपत दर्ज की गई, को औसत के आधार पर बिल की गई जो कि प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि मीटर बदलने के पश्चात अगले तीन माह में औसत खपत के आधार पर बिल किया जाना था।

14 अध्यीक्षण यंत्री कार्यालय स्तर पर गठित समीक्षा समिति द्वारा बिना किसी ठोस कारण के यह मानकर कि मीटर सितंबर 2014 से ही कम खपत दर्ज कर रहा था, अतः जून, जुलाई एवं अगस्त 2014 माह में दर्ज खपत के औसत के आधार पर माह सितंबर 2014 से नवंबर 2015 तक बिल पुनरीक्षित करने के आदेश दिये, जिसे उपभोक्ता फोरम द्वारा अक्टूबर 2014 से नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए पुनरीक्षित करने के संशोधित आदेश दिये। जबकि अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015 तक मीटर द्वारा कम खपत दर्ज करने पर मीटर का स्थल पर निरीक्षण अथवा प्रयोगशाला में परीक्षण करने के उपरांत यदि मीटर धीमा पाया जाता तो उस अनुपात में बिलिंग की जानी थी।

उपरोक्त प्रावधानों एवं प्रस्तुत तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर द्वारा मार्च 2015 से शून्य खपत दर्ज की गई एवं मीटर परीक्षण में मीटर बंद पाया गया।

ब माह अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015 तक पिछले माहों की तुलना में कम खपत दर्ज हुई है। (ओई–1)

स मई, जून, जुलाई एवं अगस्त 2014 जो कि गर्मी का सीजन है, उन माहों में अधिक खपत दर्ज होना स्वाभाविक है जिसको कि यदि मीटर बदलने के पश्चात नये मीटर द्वारा इन्हीं माहों में खपत की तुलना की जाए तो लगभग समान खपत दर्ज होना पाया जाता है। (ओई–1)

द अनावेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे कि यह सिद्ध हो सके की मीटर सितंबर 2014 से ही डिफेक्टिव होना शुरू हो गया था एवं अनावेदक द्वारा लगभग एक वर्ष की अवधि में मीटर का परीक्षण नहीं किया गया, जब तक की मीटर पूर्णतः बंद नहीं हो गया। अतः अनावेदक की लापरवाही को देखते हुए एवं न्याय की दृष्टि से आवेदक को प्रताड़ित करने की दृष्टि से मीटर सितंबर 2014 से ही डिफेक्टिव खपत दर्ज कर रहा था उचित नहीं है।

च उपभोक्ता फोरम के समक्ष आवेदक द्वारा मार्च 2015 से नवंबर 2015 तक की अवधि में मीटर बदलने के पश्चात उन माहों में जिन माहों में अधिक खपत दर्ज हुई है, के आधार पर औसत

बिल करना गलत है क्योंकि विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 8.35(बी) के अनुसार मीटर बदलने की तिथि से अगले तीन माह मे ंदर्ज खपत के आधार पर औसत बिलिंग की जानी चाहिए थी। परन्तु उपभोक्ता फोरम द्वारा इस शिकायत का निराकरण न करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अक्टूबर 2014 से नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2014 के माहों में दर्ज खपत के औसत के आधार पर औसत बिल किये जाने का आदेश दिया जो कि न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।

छ चूंकि वर्तमान में अनावेदक की सेवा में कमी एवं लापरवाही दृष्टिगत होती है जिसके लिए आवेदक को प्रताड़ित करना न्यायपूर्ण नहीं है। अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 8.35 (बी) में दिये गये प्रावधान के अनुसार मीटर बदलने के पश्चात अगले तीन माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2016 मे ंदर्ज खपत के औसत के आधार पर बिल पुनरीक्षित किया जाए।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2016 की अवधि में दर्ज खपत के औसत के आधार पर मार्च 2015 से नवंबर 2015 की अवधि के लिए बिल पुनरीक्षित किया जाए।

ब इस अवधि में आवेदक द्वारा विद्युत देयकों एवं सतर्कता दल द्वारा दिये गये पूरक बिल के विरूद्ध किये गये भुगतान को उपरोक्तानुसार (अ) के अनुसार दिये गये बिल में समायोजित करें।

स आवेदक से मार्च 2015 से नवंबर 2015 के बीच की अवधि में ली गई मीटर किराये की राशि को भी उनके आगामी बिल में समायोजित की जाए।

द फोरम का आदेश आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है।

15 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

16 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल